<u>वित्तीय स्वीकृति</u>
<u>संख्या-५/२०१९/272/52-3-19-बजट(01)/2018</u>

प्रेषक,

इच्छाराम
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, लखनऊ: दिनांक 01 मार्च, 2019

विषयः-वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों को पोषण अनुदान/अनुरक्षण अनुदान के भुगतान हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-5576/अ0स0क0नि0/मद0पो0अनु0/2019 दिनांक 08.02.2019 के संदर्भ में के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस -2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 के प्रस्तर-2(5) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों को पोषण अनुदान/अनुरक्षण अनुदान के भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 10,00,000/- के सापेक्षप्रथम किश्त की धनराशि रू0 05.00 लाख शासनादेश सं0-1607/52-3-18-बजट(01)/2018 दिनांक 13.08.2018द्वारा निर्गत की गयी थी। द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि रू0 05,00,000/- (रू0 पाँच लाख मात्र) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत करते हुये व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।
(2) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि भवनों के रख रखाव इत्यादि के लिये उन्हीं मदरसों को अनुदान दिया जायेगा, जिनका स्वामित्व स्वयं मदरसों का ही हों अथवा उनको संचालित करने वाली संस्था का हो।
(3) यह वित्तीय स्वीकृतियां जिलों को तत्काल आवंटित कर दी जाय तथा जिलेवार आवंटित धनराशि की सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध करायी जाय।
(4) उक्त पर होने वाला व्यय शासन द्वारा समय≤ पर निर्गत शासनादेशों/दिशा निर्देशों के अनुरुप सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2019 तक उपलब्ध कराया जायेगा।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-30.03.2018 (यथा संशोधित) में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(7) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।
(8) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का दायित्व प्र0वि0 का होगा।

2- उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखाषीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय-06-अरबी फारसी मदरसों को पोषण अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0-ई-4-122/दस-19, दिनांक 25 फरवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(इच्छाराम)
अनु सचिव

संख्या-272(1)/52-3-19-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3-मुख्य कोषाधिकारी, कैसरबाग, लखनऊ।
4-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ।
6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
7-वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1

आज्ञा से,

(इच्छाराम)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।